प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) रास्ता स्वीकृति बाबत

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री आनन्द स्वरूप झोरड़
2. श्री मदन लाल पारीक — प्रार्थीगण
   अप्रार्थी सं. 1 ता 7, 11
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी सं. 14

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 18/12/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) रास्ता स्वीकृति बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि —यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है यह कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 पीडब्ल्यूएम के खाता सं. 3/33 के प.नं. 74/333 (1) किला नं. 16, 17, 24, 25, प.नं. 75/333 (2) किला नं. 16 ता 25, प.नं. 75/334 (7) किला नं. 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, प.नं. 76/333 (3) किला नं. 9/1, 10 ता 13, 18 ता 20 की कुल 5.819 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी मुताबिक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है । प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 12 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 पीडब्ल्यूएम के खाता सं. 6/3 के प.नं. 75/333 (2) किला नं. 1 ता 4, 8 ता 15 की 3.036 हैक. कमांड खातेदारी मुताबिक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है । प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि राजस्थान सरकार (अप्रार्थी सं.14) के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 पीडब्ल्यूएम के खाता सं. 1/1 के प.नं. 75/333 (2) किला नं. 5, 6, 7 में 0.759 हैक. कमांड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है 5. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 12 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 2 पीडब्ल्यूएम के प.नं. 75/333 (2) किला नं. 15 में 0.017 हैक. रास्ता बजानिब पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा, राजस्थान सरकार (अप्रार्थी सं. 14) के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 पीडब्ल्यूएम के खाता सं. 1/1 के प.नं. 75/333 (2) किला नं. 5, 6 प्रत्येक में 0.017 — 0.017 हैक. रास्ता बजानिब पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता से होते हुए अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करते है । उक्त रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है व कृषि औजार लाते व ले जाते है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई निकटतम व सुविधाजनक रास्ता नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण सं. 1 ता 12 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 2 पीडब्ल्यूएम के प.नं. 75/333 (2) किला नं. 15 में 0.017 हैक. रास्ता बजानिब पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा, राजस्थान सरकार (अप्रार्थी सं. 14) के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 पीडब्ल्यूएम के खाता सं. 1/1 के प.नं. 75/333 (2) किला नं. 5, 6 प्रत्येक में 0.017—0.017 हैक. रास्ता बजानिब पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने के हकदार है। रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में प्रार्थीगण उतनी कृषि भूमि की डीएलसी दर से दौगुना राशि अथवा उतनी भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 12 को देने के लिये तैयार व तत्पर है।

यह कि अप्रार्थी सं. 13 जो कि बैंक है उसके यहां भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है व अप्रार्थी सं. 14 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण सं. 1 ता 12 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 2 पीडब्ल्यूएम के प.नं. 75/333 (2) किला नं. 15 में 0.017 हैक. रास्ता बजानिब पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा, राजस्थान सरकार (अप्रार्थी सं.14) के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 पीडब्ल्यूएम के खाता सं. 1/1 के प.नं. 75/333 (2) किला नं. 5, 6 प्रत्येक में 0.017 – 0.017 हैक. रास्ता बजानिब पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 11 की और से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता हाजिर होकर वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जवाब निम्न प्रकार से है रू– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में प्रार्थीगण ने चक 2 पीडब्ल्यूएम में अपने नाम दर्ज समस्त भूमि का अकंन नही किया है। इस दफा में वर्णित भूमि के अलावा प्रार्थीगण की सयुक्त खाता में चक 2 पीडब्ल्यूएम के खाता सं. 2/32 के प.नं. 74/334 (8) किला नं. 6, 15, प.नं. 75/334 (7) किला नं. 3/1 से 20/2 की 4.985 हैक. भूमि तथा खाता सं. 5/31 के प.नं. 76/333 (3) किला नं. 1, 2, 3, 8, 9/2 की 1.240 हैक. भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 2 पीडब्ल्यूएम बहक आत्माराम वगैरा सलग्न जबाब प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 गलत दर्ज होने के कारण स्वीकार नही है। दफा हाजा में 0.759 हैक. भूमि अप्रार्थीगण को आंवटन भूमि है जिसकी अप्रार्थीगण ने समस्त किश्ते खजानाराज में जमा करवा दी गई है। इस भूमि के खातेदारी अधिकार हेतू कार्यवाही लम्बित है। यह भूमि राजकीय भूमि न होकर अप्रार्थीगण को आंवटन भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण का साधिकार कब्जा काश्त है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 कतई गलत व मिथ्यारचित है स्वीकार नही । प्रार्थीगण की चक 2 पीडब्ल्यूएम के प.नं. 75/334 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृतशुदा रास्ता है इसी रास्ते से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी भूमि में आना जाना कर रहे है। प्रार्थीगण की भूमि से 1 मुरब्बा दूर पीलीबंगा रावतसर मुख्य सड़क है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण गांव पण्डितावाली से इस मुख्य सड़क से होकर अपने अपने खेतो में इस सड़क के लगते हुए स्वीकृत रास्ता प. नं. 75/335, 75/334 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में से अपनी भूमि में प्रवेश करते है। यह रास्ता स्वीकृत व चालू है जो प्रार्थीगण की भूमि में है। हम अप्रार्थीगण भी इसी स्वीकृत व चालू रास्ते से होकर प.नं. 75/333 किला नं. 20, 21 के पश्चिम दिशा से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करते है। इस रास्ते को स्वीकृत करवाने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अनवान सत्यनारायण आदि बनाम आत्माराम आदि ... 162/2023 पेश किया है जो लगभग 2 साल से लम्बित है। जिसमें तहसीलदार पीलीबंगा ... जो अप्रार्थीगण के पक्ष में की गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद ... प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि प्रार्थीगण को रास्ता की आवश्यक्ता नही है। प्रार्थीगण की चक 2 पीडब्ल्यूएम के प. नं. 76/333 की भूमि के चिपते ही उत्तर दिशा में तहसील हनुमानगढ़ के चक 42 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 76/332 किला 12, 17 ता 25 की 2.530 हैक. भूमि व इसी प.नं. के सयुक्त किला नं. 4, 5, 6, 11, 15, , की कुल 1.518 हैक. भूमि है। इस भूमि के चिपते ही पश्चिम दिशा में प.नं. 75/332 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत व चालू रास्ता है जो प्रार्थीगण की भूमि मे जाता है। इस प्रकार प्रार्थीगण को उनकी भूमि में आने जाने के लिये

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:27 IST
Reason: SelfAttested

…ओर से दो स्वीकृत व चालू रास्ते है। इसलिये प्रार्थीगण को इस नये रास्ते की आवश्यकता नही है। प्रश्नगत रास्ता मौके पर चालू है और न ही कभी चालू रहा है। प्रार्थीगण को उनकी कृषि भूमि के लिये 2 स्वीकृत रास्ते लगते है । इसलिये कानूनन वे अन्य किसी रास्ते को स्वीकृत करवाने के हकदार नही है। प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध है जो खारिज योग्य है। नजरी नक्शा संलग्न है । यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार पीलीबंगा से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 870 दिनांक 19.11.2025 से प्राप्त की गई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया हैं। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण की भूमि को चक 2 पी.डब्ल्यू. एम. के प.नं. 75/334 (7) कि.नं. 1/1, 10/1, 11/1, 20/1, 21/1, में स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण की भूमि को चक 2 पी. डब्ल्यू. एम. के प.नं. 75/334 (7) कि.नं. 1/1, 10/1, 11/1, 20/1, 21/1, में स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए वैकल्पिक रास्ता चक 2 रास्ते के अलावा एक वैकल्पिक रास्ता चक 2 पी. डब्ल्यू.एम. के प.नं. 75/333 (2) कि.नं. 5-6-15 व 16 ता 20 में मौके पर चालू है।

बहस अधिववता उभय पक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया गया प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी को कम दूरी का रास्ता उपलब्ध है प्रार्थी द्वारा बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया गया।

आदेश

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 2 पी. डब्ल्यू. एस. के प.नं. 75/334 (7) कि.नं. 1/1, 10/1, 11/1, 20/1, 21/1, में स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है एवं अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थना पत्र इस लिए खारिज किया जाना उचित है क्योंकि आंत्यातिक आवश्यकता के अभाव में केवल सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 18/12/25 सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:34:27 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा